न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

श्री महेन्द्रसिंह पुत्र श्री पृथ्वीसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- मगरीवाडा, तहसील-रेवदर,

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये उप तहसीलदार, मण्डार, जिला- सिरोही

राजस्व अपील संख्या: 47/2018

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री पी.एल. दवे, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी की ओर से

-: निर्णय :- दिनांक 31 अगस्त, 2018

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील उप तहसीलदार, मण्डार द्वारा प्रकरण संख्या: 177/2017 में पारित निर्णय दिनांक 12.10.2017 बाबत ग्राम मगरीवाडा के खसरा संख्या 736 रकबा 0.10 बीघा किस्म गै. मु.गोचर भूमि का अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध पेश की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी की ओर से अपील की सुनवाई के दौरान पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को विवादित भूमि का अतिक्रमी मानकर बेदखल करने का निर्णय पारित करने में कानूनन भूल की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि खसरा संख्या 736 की भूमि का जिला कलेक्टर, सिरोही के आदेश दिनांक 09.9.2002 के द्वारा आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत, मगरीवाडा को आवंटन किया गया था जिससे ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाये बिना ग्राम पंचायत की आबादी भूमि के संबंध में धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही करने का कानूनन अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नही था। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि विवादित भूमि का आबादी विस्तार हेतु आवंटन होने के बाद विवादित भूमि आबादी भूमि है, जिस पर अपीलार्थी का वर्ष 2002 से लगातार शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। ग्राम पंचायत, मगरीवाडा द्वारा विवादित भूमि से लगती हुई भूमि पर कई व्यक्तियों को पट्टे जारी किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नही किया कि हल्का पटवारी, मगरीवाडा द्वारा दिनांक 12.10.17 को विवादित भूमि के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में जो सीमाज्ञान एवं मौका रिपोर्ट की गई है, वह अपूर्ण है। हल्का पटवारी द्वारा अपीलार्थी व स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति

.....पेज दो पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

में विवादित भूमि का सीमज्ञान नही किया गया है, हल्का पटवारी मगरीवाडा ने कार्यालय में बैठकर ही सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार की है जिसे साक्ष्य में ग्रहण नही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नही किया कि विवादित भूमि का आबादी विस्तार हेतु आवंटन हो जाने इस आबादी भूमि पर धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधान लागू नही होते है, इसलिये अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे। जबकि विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया ग्रामसेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, मगरीवाडा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, मण्डार में ग्राम मगरीवाडा के खसरा संख्या 736 किस्म गै.मु. गोचर भूमि पर हुए अतिक्रमियों की सूची प्रस्तुत कर अतिक्रमणों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु अनुरोध किया जाने पर अपीलार्थी के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया गया है एवं अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए हल्का पटवारी, मगरीवाडा से विवादित भूमि की मौका व सीमांकन रिपोर्ट प्राप्त कर बाद जांच अपीलार्थी का गै.मु. गोचर भूमि पर अतिक्रमण साबित होने से विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है, अत: अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, मण्डार द्वारा ग्रामसेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, मगरीवाडा की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम मगरीवाडा, पटवार हल्का मगरीवाडा के खसरा संख्या 736 रकबा 0.10 बीघा किस्म गै.मु. गोचर भूमि पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण किया जाने से अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में नियत सुनवाई तिथि 12.7.2017 को अपीलार्थी ने उपस्थित होकर अतिक्रमण करने से इनकार किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, मण्डार द्वारा हल्का पटवारी, मगरीवाडा से विवादित भूमि के मौके की रिपोर्ट तलब की गई। हल्का पटवारी, मगरीवाडा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत मौका जांच व सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 12.10.2017 में यह स्पष्ट रुप से अंकित किया गया है कि श्री महेन्द्रसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह, कौम राजपूत, निवासी- मगरीवाडा द्वारा खसरा संख्या 736 गै.मु. गोचर भूमि में अतिक्रमण किया हुआ है। इस प्रकार, हल्का पटवारी, मगरीवाडा की उक्त रिपोर्ट दिनांक 12.10.2017 से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी महेन्द्रसिंह द्वारा ग्राम मगरीवाडा, पटवार हल्का मगरीवाडा के खसरा संख्या 736 किस्म गै.मु. गोचर भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अत: अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही